International Journal of Humanities and Education Research

ISSN Print: 2664-9799
ISSN Online: 2664-9802
Impact Factor: RJIF 8.2
IJHER 2023; 5(1): 01-03
www.humanitiesjournal.net
Received: 10-12-2022
Accepted: 26-12-2022

Dr. Urmil Vats
Department of Political Science, Shyama Prasad Mukherjee College, University of Delhi, New Delhi, India

Corresponding Author:
Dr. Urmil Vats
Department of Political Science, Shyama Prasad Mukherjee College, University of Delhi, New Delhi, India

आजादी के 75 वर्षः लोकतंत्र की उपलब्धियाँ और चुनौतिया

Dr. Urmil Vats

DOI: https://doi.org/10.33545/26649799.2023.v5.i1a.34

सारांश
"हम भारत के लोग भारत को एक (संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंचनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य) बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को"
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए के तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और (राष्ट्र की एकता और अखंडता) सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ई. (निति मार्गशीर्ष शुक्ला, सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) की एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं।
आजादी के 75 वर्ष हम पूरा होने पर आज देश के कोने–कोने में जश्न का माहौल है। हो भी क्यूं न, क्योंकि लम्बे अन्तराल की गुलामी के पश्चात, सहस्र बलिदानों की आहुति के बाद ही यह आजादी हमें मिली है। हर घर तिरंगा जश्ने आजादी में चार चाँद लगा रहा है। लेकिन, आज जरूरत इस पर भी विचार करने की है कि प्रत्येक व्यक्ति यह भी विचार करें कि हमारे देश भक्तों ने जो बलिदान दिए, जो यातनाएँ झेली, देश का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में आजादी प्राप्ति के हवन में अपनी आहुति दे रहा था। उसी आहुति के दम पर आज हम सब इस खुली हवा में सांस ले रहे है। हमारे चिन्तन का यह हिस्सा होना चाहिए कि कैसा भारत वर्ष हमारे स्वतंत्रता सेनानी देखना चाहते थे? क्या हम आजादी के 75 वर्ष तक उन्हें पूरा कर पाए है? अगर हाँ तो करने सी कौन सी उपलब्धियाँ हम प्राप्त कर चुके है, अगर नहीं तो क्यूँ नहीं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ एक–एक शब्द क्या सही मायने में हकीकत में हम पूरा कर पाएं? क्या प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और उसे उसके अधिकार संवैधानिक तौर पर ही नहीं बल्कि व्यवहारिक तौर भी उसे प्राप्त हो चुके हो? क्या समाज से असमानता समाप्त हो चुकी है? क्या प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहा है? देश की एकता और अखंडता पर कोई सवाल तो नहीं है? देश में भाईचारा व सौहार्द की भावना कम तो नहीं हुई है? आजादी के 75 वर्ष के सफर पर चलते हुऐ आज हम कहाँ तक पहुँचे, क्या चुनौतियां रही? कहाँ तक हम जा सकते हैं, तमाम उन बिंदुओं पर विचार व मंथन की भी आवश्यकता है।

कूटशब्दः स्वाधीनता आन्दोलन, संविधान, लोकतंत्र उपलब्धियाँ व चुनौतियाँ।

प्रस्तावना
विदेशी शासन की गुलामी की जंजीरों से भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन अपना संविधान न होने की वजह से यह पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी। भारत एक अधिराज्य की स्थिति में था। पूर्ण स्वाधीनता 26 जनवरी 1950 को प्राप्त हुई। इस शुभ दिन को 'गणतंत्र दिवस' भी कहा जाता है। भारत में सरकार का निर्माण संविधान के अनुसार लोकतंत्रीय व्यवस्था के अनुरूप है। प्रजातंत्र के मूल आधार–समानता स्वतंत्रता और भ्रातृभाव है।
प्रस्तावना में भारत को प्रजातंत्रीय राज्य के रूप में परिलक्षित किया गया है। राज्य की शक्ति किसी एक व्यक्ति या संस्था में केन्द्रित नहीं है। बल्कि समस्त जनता के पास है। मिस्टर मैडिसन के अनुसार–
"गणतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसकी शक्तियों का स्रोत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जनता का महान समूह होता है तथा जिसकी शक्तियों का प्रयोग उन लोगों द्वारा होता है जो अपने पद पर निश्चित समय के लिए जनता की प्रसन्नता–पर्यन्त या सद्व्यवहार पर्यन्त रहते है।"
आजादी के 75 वर्षों में देश ने अनेक उतार–चढ़ाव देखे है। असंख्य महापुरुषों व वीरांगानाओं के बलिदान के बाद आजादी का अमृत प्राप्त हुआ, लेकिन बंटवारे का दंश भी हमें झेलना पड़ा। वक्त का महिया घूमता गया और देश ने धीरे–धीरे विकास की रफ्तार को बढ़ाया। आज भारत विश्व के नक्शे में अपना अहम स्थान प्राप्त कर चुका है। विकसित देशों में भी भारत की उभरती ततकात का अहसास हो चुका है। आज 2022 में जब विश्व पटल पर कोई एलाने जंग होता है, तो दुनिया की

नजर भारत की ओर उठती है। क्यूं कि भारत और भारतीयता शक्ति का प्रतीक है। आजादी के पश्चात भारत ने लोकतंत्र को अपने शासन का आधार स्तंभ बनाया भारतीय संविधान जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। बी.आर. अम्बेडकर ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन रहे और उनकी देखरेख में जो मसौदा तैयार हुआ, उस संविधरन ने हमें एक ऐसा मार्गदर्शन दिया जिसमें अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के जीवन की रक्षा, सम्मान, सार्वभौमि कल्याण और शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के चिन्तन के साथ हम निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। लेकिन उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हमें अपना इतिहास भी याद रखना चाहिए। आज की नौजवान पीढ़ी को यह पता होना चाहिए कि आज जिस खुली हवा में हम सांस ले रहे है। जिन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं उसे लिए अनगणित जाने शहीद हुई है। आज भारत परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र है। चन्द्रमा और मंगल ग्रह पर मानव रहित मिशन भेजने में विकसित देशों के साथ भी इसका नाम शामिल है, हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि चाहे उत्पादन का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो, महिला सशक्तिकरण हो, हर क्षेत्र में निरन्तर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अनेक योजनाओं के माध्यम से जनसेवाओं को शुरू किया जा रहा है। आजादी के इन 75 वर्षों में भारत ने कीर्तिमान स्थापित किया हैं लेकिन हमारे लिए यह जानना भी आवश्यक है कि हमारी अब तक की उड़ान के पीछे क्या चुनौतियाँ रही, आगे के सफर का रास्ता कैसा है, कैसे हमें रफ्तार बढ़ानी है, क्या–क्या हमारे लक्ष्य है। इन सब पर चर्चा लगातार हमारे चिन्तन में रहनी चाहिए।

भारतीय संविधान और लोकतंत्र

15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 भारत के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन रहे हैं सुनहरे अक्षरों में लिखे गये इन पलों द्वारा भारतीय राजनीति और शासन के लिए नये रास्ते का निर्माण किया गया। एक सुबह की नई किरण की तरह एक नई चमक के साथ संविधान द्वारा शासन चलाने की प्रतिज्ञा के साथ प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद द्वारा नई चुनौतियों के साथ अपना कार्यभार संभाला एक लम्बे अरसे से गुलामी की जंजीरें जितनी अधिक कठोर थी, उतनी ही अब चुनौतियाँ भी अधिक थी। शिक्षा का स्तर भी अच्छा नहीं था महिलाओं के लिए और अधिक मुश्किलें थी, बेरोजगारी, बंटवारे के बाद लोगों के पुर्नवास और उनके बीच सौहार्द की भावना, लोकतंत्र को स्थापित करना, औपनिवेशिक शासन के दौरान चौपट हुई अर्थव्यवस्था की पटरी पर लाना कोई आसान राह नहीं थी। देश की आबादी लगभग आजादी के वक्त 32 करोड़ थी। इसीलिए देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारेंगे देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने के लिए अनेक योजनाओं को शुरू किया गया।

जनसंख्या में अगर बात करें तो भारत दूसरे नंबर पर और क्षेत्र में सॉंतवें स्थान पर आता है। इसकी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। यह धरती अनेक धर्मों की जननी है, जैसे सतनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और सिंधी धर्म इत्यादि।

विभिन्नता में एकता के अद्भुत दर्शन भारत में होते है। जातीय समुदाय, भषा, खान पान त्यौहार अलग भू–आकृतियाँ सभी मिलकर इसकी संस्कृति की पहचान है। विभिन्नता में एकता के पथ पर चलते हुए भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया अर्थात् एक ऐसी व्यवस्था जिसमें शक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनता के पास होती है। ये अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जो कि एक निश्चित अन्तराल के पश्चात चुने जाते है, शासन में भाग लेती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को मुख्यतया दो वर्गों में विभाजित कर सकते है। एक राजनीतिक स्थिति जिसमें– संविधान, प्रस्तावना और कानून की बात करते है। सामाजिक और आर्थिक स्थिति में प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ सामाजिक विकास जिसमें अवसरों की समानता, सामाजिक न्याय, सुरक्षा और जनकल्याण की भावना से ओत–प्राप्त शासन हो।

आजादी प्राप्त करने के साथ ही भारतीय सरकार की कार्यशैली हमेशा उत्तरदायी लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के अनुसार ही रही। पंचायत से लेकर राष्ट्रपति तक के चुनाव सभी, एक अनुशासित, ढंग से समय–समय पर कराऐ जाते रहे है।

राजनैतिक सत्ता का हस्तातंरण एक राजनैतिक दल से दूसरे दल या अन्य दलों को राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पर संवैधानिक प्रक्रिया के दायरे में ही होता है। जबकि हमारे–पड़ोसी देशों में ऐसा अक्सर देखने को नहीं मिलता है। 1951 में भारत में जहाँ प्रथम चुनाव लगभग 54 राजनैतिक दल थे, अब 464 दल है। वोट का अधिकार 173 मिलियन से बढ़कर 814 मिलियन हो गया। भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धि में 1989 वोट का अध्किाार 18 वर्ष में मिल गया। संविधान के 73वें, 74वें संशोधन के माध्यम से SC, ST और महिलाओं को स्थानीय स्वशासी निकायों में आरक्षण दिया जाना व सूचना का अधिकार भी एक उपलब्धि गिना जा सकता है।

स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र प्रेस जैसी संस्थाओं ने भारत की कानूनी व्यवस्था को बरकरार रखा है।

स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करे तो जीवन प्रत्याशा 1951 के समय से अब लगभग दोगुनी हो गई। शिक्षा के स्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। चेचक, पोलियों खासकर कोरोना काल में महामारियों से बखूबी निपटा गया।

आर्थिक क्षेत्र में अगर बात करे तो भारत एशिया में सैन्य और परमाणु क्षमताओं के साथ एक क्षेत्रीय शक्ति और महाशक्ति के रूप में दक्षिण एशिया में उभरने में सक्षम रहा है।

भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियाँ

लोकतंत्र एक अधिकार, दृष्टिकोण, प्रणाली, तंत्र, सहमति और असहमति का मिला–जुला स्वरूप है। भारत एक विशाल देश है। जहाँ भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक आधार पर अनेक विभिन्नताऐं विद्यमान है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत प्रगति के पथ पर निरन्तर अग्रसर है लेकिन चुनौतियाँ भी कम नहीं है। जैसे–

निरक्षरता

2021 की जनगणना के अुनसार पुरुष साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत, महिला 65.46 प्रतिशत है। इस अन्तर को समाप्त करना है।

NCRB 2019 की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराध 7 प्रतिशत बढ़े है। साम्प्रदायिक आधार पर NCRB रिपोर्ट के अनुसार 2016–2020 तक देश में 3400 सांप्रदायिक दंगों के मामले दर्ज किए गए। बेरोजगारी दर अगस्त 2022 तक की रिपोर्ट 8.30 प्रतिशत है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भी भारत में अभी 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। गाँवों में रहने वाला व्यक्ति 26 रुपये और शहर में रहने वाला व्यक्ति हर दिन 32 रुपये खर्च नहीं पर रहा तो वह गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है।

राजनीति का अपराधीकरण भारत के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में रहा है। 1 दिसम्बर 2021 तक संकलित आँकड़ों के अनुसार 4984 अपराधिक मामले विद्यायकों से सम्बन्धित न्यायालयों में लंबित है। यह डाटा भारत की राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ता हुआ उजागर करता है और ये लोग विधान–पालिकाओं और संसद में भी पहुँचते है। अपराधिक प्रवृत्ति से सम्बन्धित अयोग्यता ठहराने से विषय पर संविधान में भी कोई विशेष उपबंध नहीं है। 1951 का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 ऐसे राजनेताओं को चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकती जिन पर केवल मुकदमा चल रहा हो, दोष सिद्ध नहीं हुआ हो आरोप चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो। धारा 8(1) और 8(2) में

यह प्रावधान आवश्य है। अगर कोई प्रतिनिधि बलात्कार, हत्या या आंतकवादी गतिविधियों में लिप्त सिद्ध हो जाता है। तब उसे अयोग्य माना जाएगा और 6 वर्ष के लिए यह प्रतिबंध रहेगा। According to National Election watch and Association for Democratic Rights (ADR) Survey रिपोर्ट में 40 प्रतिशत अपराधिक मामले है। 12 प्रतिशत पर गंभीर किस्म के केस लंबित है। हालांकि समय–समय पर समितियां बनाई जाती हैं। वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी टिप्पणियां की जाती हैं। अपराधिक प्रवृत्ति वाले उम्मीदवारों की सूची न केवल स्थानीय समाचार पत्रों में बल्कि सोशल मीडिया और वेबसाइट उपस्थित होने चाहिए। भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन प्रशिक्षण इंडेक्स 2021 के अनुसार 180 देशों में से 85वें स्थान पर भारत को रखा गया है। भाई भतीजावाद, रिश्वतखोरी, जबरन वसूली, धोखाधड़ी यह सब राजनीतिक भ्रष्टाचार के उदाहरण हैं। जबकि। मादक पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, और मानव तस्करी जैसे अपराध बेईमानी से पनपते हैं। क्लेप्टोक्रेसी शब्द भी आजकल प्रयोग में होने लगा है। इन सब से सामाजिक स्तर पर परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। इससे सरकार में जनता का विश्वास बहुत कमजोर होता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट 2022 रिपोर्ट ऑन स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट जोकि खाद्य प्रणाली, प्रवासन, जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित थे। कोविड–19 महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित हुई। 2020 तक यह केवल 2.48 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ी है। लक्ष्य 4 ट्रिलियन तक बढ़ाना है। महिला श्रमिक बल भागीदारी 17.3ः है। जबकि लक्ष्य 2022–23 तक 30ः रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना भी अभी 38ः हासिल किया गया है जबकि लक्ष्य 6 परसेंट है। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने पर 2021 की संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भारत 192 देशों में 170 में स्थान पर है। जोकि चिंता का विषय है। सभी भूमि अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन करने का कार्य अभी बाकी है। कुछ राज्यों में यह कार्य प्रगति पर है। लेकिन कुछ मैं अभी जैसे–जम्मू कश्मीर में 5ः लद्दाख में 2ः और सिक्किम में 1ण्8 परसेंट की कमी है। 2022–23 तक सकल घरेलू उत्पाद को 4 ट्रिलियन डॉलर तक लगभग बढ़ाना है। लेकिन अभी मंजिल दूर है। आजादी के 75 वर्ष बाद भी मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन जड़ से नहीं हुआ है। इसके लिए जनता का दृढ़ संकल्प होना आवश्यक है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में आजादी से लेकर अभी तक महिलाओं को सशक्त करने के लिए अनेक ठोस प्रावधान किए गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली योजना, ट्रिपल तलाक, और भी कई अहम बिंदुओं पर योजनाएं बनी, कानून बने लेकिन एनसीआरबी रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के 19 महानगरों में कुल 48414 केस दर्ज हुए। देश की राजधानी दिल्ली में हर दिन दो नाबालिक लड़कियों के साथ रेप की घटना हो रही है। अपहरण, क्रूरता, महिलाओं के प्रति बढ़ रही हैं। अपहरण के 3948 क्रूरता 4674, रेप 833, दहेज हत्या 136 मामले दर्ज हुए। यह हाल राजधानी का है, तो अन्य राज्यों में क्या हाल होगा इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। गांव देहात की स्थिति क्या होगी? साइबर क्राइम की अगर बात करें तो आज के समय में यह सबसे बड़ी चुनौती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 की रिपोर्ट में। 11.8ः साइबर अपराध बढ़े हैं। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की 578 घटनाएं हुई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 के अनुसार 52974 केस दर्ज हुए। आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमें अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

आजादी के 75 वर्षों में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने नए मुकाम हासिल किए हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक नई राहें बनाई हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। संक्षेप में अगर विश्लेषण करें तो राजनीति में अपराधीकरण पर रोक, स्वतंत्र मीडिया, कृषि क्षेत्र में सकारात्मक रुख, एक मजबूत विरोधी दल, स्वदेशी करण, डिजिटलाइजेशन यह सब मिलकर ही। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर सकते हैं।

References

1. The Indian Journal of Political Science, 1967, 28(4).
2. Business Standard0; c2022. p. 12-17.
3. National Crime Record Bureau Reports
4. Newspapers
5. Sources from Internet
6. Human Right Rights Law Review; c2010.
7. Subhash Kashyap, Our Parliament of India, Delhi OPH.
8. Ramji Lal, The Indian Government and Politics, NPH, Karnal
9. Economic and Political weekly Articles.
10. Urmil Vats, Ikkshi Sadi mein Mahila ki Sithli, Mahila Vidhi Bharati, Quarterly Law Journal, 68, Delhi.
11. Rankings United Nations Development Programme India.
12. The Global Gender Gap Report World Economic Forum; c2018.
13. NCRB, Ministry of Home Affairs, Government of India.
14. The criminal Amendment Act; c2013.
15. The World Fact Book: India Central Intelligence Agency.